फाइल सं. 12011/3/2019-स्थापना
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(मुद्रण निदेशालय)
निर्माण भवन, नई दिल्ली,

दिनांक 04 अक्टूबर, 2019

परिपत्र

विषय: बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति में समय की पाबंदी की निगरानी

समय की पाबन्दी व्यक्ति का उत्तम गुण है जिसकी सराहना और आदर किया जाता है. कार्यस्थल पर समय की पाबन्दी इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दौरान किये गए कार्य के लिए हमें भुगतान किया जाता है.

2. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशालय का कार्य-समय प्रात: 9:30 से सांय 6:00 बजे तक है. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कार्यालय समय का पालन किया जाना आवश्यक है जब तक कि किसी मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इससे छूट न दी गई हो अथवा कोई अन्य कारण (दौरा, प्रशिक्षण, अवकाश, देर से आने की विशेष अनुमति इत्यादि) न हो. बिना किसी उचित कारण के कार्यालय समय की निर्धारित अवधि को पूर्ण न करने पर सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

3. निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की पिछले कुछ माह की बायोमेट्रिक हाजिरी की रिपोर्ट की समीक्षा की गई है. यह पाया गया है कि कई अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में उपस्थिति की निर्धारित अवधि को पूरा नहीं कर रहे हैं. इसे निदेशक (मुद्रण) ने बहुत गंभीरता से लिया है.

4. इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1) (ii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रावधान है कि एक सरकारी सेवक हमेशा कार्य के प्रति निष्ठा रखेगा. आदतन देर से आना या समय से पहले कार्यालय से चले जाना एक सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय आचरण है और ऐसे सरकारी सेवक के विरुद्ध सम्बंधित नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

5. समय की पाबंधी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दोहराए जाते हैं, जिनका सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निष्ठापूर्वक पालन किया जाना है:

- i) सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बायोमेट्रिक हाजिरी अवश्य लगाएं.
- ii) जो अधिकारी/कर्मचारी बायोमेट्रिक हाजिरी केलिए पंजीकृत नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल अपना पंजीकरण कराने का निर्देश दिया जाता है.
- iii) यदि बायोमेट्रिक प्रणाली में कोई तकनीकी खराबी आती है तो स्थापना अनुभाग में उपलब्ध रजिस्टर में हाजिरी अवश्य लगाएं.

6. यह निदेशक(मुद्रण) के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

(प्रेम प्रकाश)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

सेवा में

1. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी
2. निदेशक (मुद्रण) के प्रधान निजी सचिव
3. NIC को मुद्रण निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर डालने के लिए